न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।
उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 60/2026

महेश चन्द्र **बनाम** बृजेश कुमार आदि

धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना–सकरौली, जिला एटा

13.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

आवेदक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस०एस० इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी महेशचन्द्र श्री आनन्द कंचन केतुकी इण्टर कालेज बदनपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। बृजेश कुमार पुत्र श्रीचन्द, प्रहलाद पुत्र बृजेश कुमार, अंकित पुत्र उमेशचन्द्र, रामौतार व भानुप्रताप पुत्रगण नेमीचन्द निवासी ग्राम बदनपुर थाना सकरौली जिला एटा व एक व्यक्ति अज्ञात जो विद्यालय के प्रागंण व विद्यालय मे अनैतिक कार्य करते है, जिसका प्रार्थी ने विरोध किया था। इसी की रंजिश मानते हुए दिनांक 06–04–2026 सुबह करीब 10 बजे उक्त सभी लोग एक राय मशवरा होकर आये और घटना की वीडियो न बन पाये इस कारण विद्यालय पर लगी सीसीटीवी कैमरो की केविल काट दी, जब प्रार्थी ने विरोध किया तो उक्त लोग विद्यालय में घुसकर प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगे और भानु प्रताप जान से मारने की नीयत से प्रार्थी के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। जिससे प्रार्थी बाल बाल बच गया। चीख पुकार पर विद्यालय में मौजूद प्रबन्धक कुंवरपाल सिंह व प्रार्थी का डेडवर विपिन कुमार सिंह आ गये उक्त लोग गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। प्रार्थी ने 112 नम्बर पर कॉल की लेकिन कॉल नही लगी तब प्रार्थी थाने गया तो वहा प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नही की तब मजबूर होकर प्रार्थी उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा के समक्ष वजरिए रजिस्ट्री डाक दिनांक 21–04–2026 को प्रस्तुत किया फिर भी कोई कार्यवाही नही हुयी तब मजबूर होकर प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र श्रीमान जी के समक्ष न्यायालय में किया है। न्यायहित में प्रार्थी की रिपोर्ट उचित धाराओ में पंजीकृत कराकर विवेचना कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

आवेदक की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है।

आवेदक के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

न्यायालय मतानुसार मामले के सभी तथ्य आवेदक एवं गवाहों की जानकारी में हैं। कोई भी ऐसा साक्ष्य संकलित नहीं किया जाना है जो मात्र विवेचना से ही संकलित किया जा सके। मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर, इस न्यायालय द्वारा स्वंय जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

अतः प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रदीप अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य (प्रार्थना पत्र 482 दं०प्र०सं० 10390/2024 में पारित आदेश दिनांकित 26.11.2024) में दी गयी विधिव्यवस्था के आलोक में विपक्षीगण की आपत्ति आने से पूर्व परिवादी व उसके साक्षीगण के बयान अंकित कराये जाने आवश्यक है। अतः ऐसे में पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बीएनएनएस दिनांक 03.06.2026 को पेश हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा।
(J.O. CODE- UP 4823)

दिनांक 13.05.2026